संख्या- 2[illegible] / 94 1 2018 312(52) / 2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: [illegible] मार्च, 2018

विषय: प्रदेश के बिल्डरों द्वारा फ्लैट / भवन का पंजीयन नहीं कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किये जाने तथा जन–सामान्य को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं / कार्यक्रमों एवं नीतियों तक जनता की सीधी पहुंच सुलभ कराये जाने हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रदेश के कतिपय बिल्डरों द्वारा फ्लैट / भवन के आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है परन्तु उसका पंजीयन / निबन्धन नहीं कराया गया है, जिससे आवंटी विधिक विलेख के अभाव में परेशान है तथा इस संबंध में बिल्डरों के विरूद्ध शिकायतें भी आ रही है। बिल्डरों के इस कृत्य से आम जन मानस / आवंटी को असुविधा होने के साथ–साथ राज्य सरकार को भी अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो रही है।

प्रस्तुत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आम जन मानस एवं आवंटी के हित एवं अधिनियमों / नियमों / व्यवस्थाओं तथा विधिक प्रक्रियाओं की शुचिता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी बिल्डरों से आवंटियों को आवंटित फ्लैट / भवन आदि का पंजीयन / निबन्धन कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि पंजीयन हेतु अन्तिम विकल्प के रूप में प्रदेश के सभी जनपदों में जहाँ बिल्डर्स द्वारा आवंटित फ्लैट / भवन का पंजीयन / निबन्धन नहीं कराया गया है, वहां के बिल्डरों को चिन्हित करते हुए जिलाधिकारीगण भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में वर्णित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(हिमांशु कुमार)

प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner